

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.=11012020-215325
CG-DL-E-11012020-215325

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]
No. 98]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2020/पौष 17, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2020/PAUSHA 17, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2019

का.आ. 106(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3502(अ) तारीख 20.09.2019 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 27.09.2019 में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा ओडिशा राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया एवं बोकारो-धामरा पाइपलाइन (जे एच बी डी पी एल) एवं स्पर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

जगदीशपुर—हल्दिया—बोकारो—धामरा गैस पाइपलाइन और स्पर पाइपलाइन प्रोजेक्ट						
धामरा—अनगुल पाइपलाइन (सेक्सन— 2A)						
अनुसूची						
राज्य— ओडिशा						
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्गमिटर
1	2	3	4	5		
ढेन्कानाल	कामाक्षानगर	इछाबतिपुर	1930 / 7066	00	00	70
		भएरपुर लखराज	137	00	06	62
		भएरपुर (रयति)	2782	00	01	98

[फा. सं. एल—14014 / 104 / 2019—जीपी— II]

राज किशोर, अवर सचिव,

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2019

S.O. 106(E).—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3502(E) dated 20.09.2019 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated 27.09.2019, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline in the State of Odisha by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

JAGDISHPUR-HALDIA-BOKARO-DHAMRA GAS PIPELINE PROJECT						
DHAMRA-ANGUL PIPELINE (SECTION-2A)						
SCHEDULE						
STATE : ODISHA						
District	Tehsil	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Sq. mtr.	
1	2	3	4	5		
DHENKANAL	KAMAKHYANAGAR	ICHHABATIPUR	1930/7066	00	00	70
		BHAIRPUR-L	137	00	06	62
		BHAIRPUR-R	2782	00	01	98

[F. No. L-14014/104/2019-GP-II

RAJ KISHORE, Under Secy.